

पचा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 383/2025

1. गुरमीतसिंह पुत्र जगबूटसिंह
 2. करणवीर सिंह पुत्र नन्दसिंह
 3. हरमीत सिंह पि० जगरूपसिंह
 4. प्रदीपसिंह
- जाति जटसिख निवासीयान सिलवाला कलां
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वादीगण

बनाम्

1. गमदूरसिंह पुत्र वरयामसिंह
2. जगबूट सिंह
3. नन्दसिंह पि० गमदूरसिंह
4. जगरूप सिंह
5. गगनदीप कौर पुत्री गमदूरसिंह पत्नी जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी, किलावाली
तहसील लम्बी जिला श्रीमुक्तसर साहिब ।
6. राजदीप कौर पुत्री गमदूर सिंह पत्नी राजदीप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड खारी
तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
7. रमनदीप कौर पुत्री जगबूटसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
8. मनप्रीत कौर पुत्री नन्दसिंह
9. जसप्रीत कौर पुत्री नन्दसिंह

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 29/9/25




आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:-चक नं० 644 आर.डी. के खाता सं० 24/23 में कुल 5.819 है० आराजी में से वादी सं० 1 गुरमीत सिंह को 1/3 हिस्सा, वादीसं० 2 करणवीर सिंह को 1/3 हिस्सा तथा वादीगण सं० 3 हरमीतसिंह व वादीसं० 4 प्रदीपसिंह को ब०हि०ब० 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं, चक नं० 644 आरडी के खाता सं० 24/23 में प्रतिवादी सं० 1 गमदूरसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि

28
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से
जारी की गई।




बपय्य (सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।